छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

षष्ठम् विधान सभा द्वितीय सत्र अंक-16

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 27 फरवरी, 2024

(फाल्गुन 8, शक संवत् 1945)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 13 (कुल 10) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

तारांकित प्रश्न संख्या- क्रमश: 06, 07, एवं 12 के प्रश्नकर्ता सदस्य क्रमश: श्रीमती रायमुनी भगत, श्री ललित चन्द्राकर एवं श्रीमती चातुरी नंद अनुपस्थित रहे ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 41 तारांकित एवं 70 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. पृच्छा

डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष, माननीय सदस्य सर्वश्री विक्रम मण्डावी, उमेश पटेल, कवासी लखमा, लालजीत सिंह राठिया, ब्यास कश्यप, कुंवर सिंह निषाद, द्वारिकाधीश यादव, भोलाराम साहू, बघेल लखेश्वर, इन्द्रशाह मण्डावी, अटल श्रीवास्तव, रामकुमार यादव, श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े, श्रीमती अनिला भेंडिया, श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, श्रीमती संगीता सिन्हा, श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल द्वारा प्रदेश में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के विषय में प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव के संबंध में चर्चा कराये जाने की मांग की गई ।

इसके अलावा माननीय सदस्य श्री रिकेश सेन, श्रीमती भावना बोहरा, सर्वश्री धरमलाल कौशिक, गजेन्द्र यादव द्वारा भी विविध विषयों पर आसंदी का ध्यानाकर्षित किया गया।

3.अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि- सभी सम्माननीय सदस्यों की बात सुनने के बाद मुझे लगता है कि जो स्थगन प्रस्ताव आपने दिया है, सबसे पहले तो उसमें एक से अधिक विषयों की सूचना समाहित है। दूसरा, प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव के विषयों पर पूर्व में सदन में चर्चा हो चुकी है । इस विषय पर शासन का वक्तव्य आ चुका है। एक बार सभा में जब विषय पर चर्चा हो चुकी है, फिर उस विषय पर स्थगन के रूप में चर्चा नहीं की जा सकती। इसलिये विचार के उपरांत मैंने आपके द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव को अग्राह्य कर दिया है ।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये ।)

(लगातार व्यवधान होने के कारण सदन की कार्यवाही 12.32 बजे स्थगित की जाकर 12.48 बजे समवेत हुई ।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री उमेश पटेल, विक्रम मण्डावी, द्वारिकाधीश यादव, सदस्य ने पुनः स्थगन पर चर्चा कराये जाने की मांग की।

4. अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अध्यक्षीय दीर्घा में रायपुर संसदीय क्षेत्र के लोकसभा सांसद श्री सुनील सोनी जी उपस्थित हैं । सदन उनका स्वागत करता है ।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये ।)

(लगातार व्यवधान होने के कारण सदन की कार्यवाही 12.58 बजे स्थगित की जाकर 1.12 बजे समवेत हुई ।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्य नारे लगाते हुए गर्भगृह में आये।)

5. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250(1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य अपने स्थान को छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण, सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गये हैं :-

डॉ. चरण दास महंत, श्री कवासी लखमा, श्रीमती अनिला भेंडिया, सर्वश्री उमेश पटेल, बघेल लखेश्वर, लालजीत सिंह राठिया, श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े, सर्वश्री दिलीप लहरिया, रामकुमार यादव, द्वारिकाधीश यादव, श्रीमती अंबिका मरकाम, श्रीमती संगीता सिन्हा, श्री कुंवर सिंह निषाद, श्रीमती यशोदा निलांबर वर्मा, श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, श्री विक्रम मंडावी, श्रीमती विद्यावती सिदार, सर्वश्री फूलसिंह राठिया, अटल श्रीवास्तव, राघवेन्द्र कुमार सिंह, बालेश्वर साहू, श्रीमती कविता प्राण लहरे, सर्वश्री इन्द्र साव, संदीप साहू, जनक ध्रुव, ओंकार साहू, श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल ।

माननीय अध्यक्ष ने निलंबित सदस्यों से आग्रह किया कि वे सभा भवन से बाहर चले जायें । निलंबन अवधि का निर्धारण वे पश्चात् करेंगे ।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा सरकार विरोधी नारे लगाते हुये सदन से बाहर प्रस्थान किया गया।)

6. निलंबन अवधि समाप्ति की घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के तहत निलंबित माननीय सदस्यों की निलंबन अवधि समाप्त करने की घोषणा की ।

7.अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि- सदन में बातचीत करना सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है । सदन में जिस प्रकार नारेबाजी हुई, वह सदन की गरिमा को कम करता है, कृपया कार्यवाही के संचालन के लिए सहयोग करें। मैंने निलंबन समाप्त कर दिया है, कृपया आकर अपना स्थान ग्रहण करें। ।

8. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलंबनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम 138 (3) को शिथिल करके मैंने आज की कार्यसूची में तीन ध्यानाकर्षण सूचनाएं शामिल किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है ।

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है ।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।)

(1) श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने प्रदेश में लापता लोगों की संख्या में निरंतर वृद्धि होने की की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री (गृह) ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) डॉ.चरणदास महंत, सदस्य ने रायपुर स्थित जंगल सफारी में चौसिंगा हिरणों की मौत होने की ओर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

(डॉ.चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष द्वारा ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ने के पहले हिरणों की मौत संबंधी फोटोग्राफ्स की प्रति पटल पर रखी गयी।)

श्री केदार कश्यप, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) श्री मोतीलाल साहू, सदस्य ने सड्डू-उरकुरा रोड पर सड्डू स्थित सब्जी मार्केट जाने वाली सड़क अत्यंत जर्जर होने की ओर उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन) का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन) ने इस पर वक्तव्य दिया।

9. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल सदस्य की नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचना सदन में पढ़ी हुई मानी गई ।

10. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिकाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री इन्द्रशाह मण्डावी

(2) श्रीमती भावना बोहरा

(3) श्री मोतीलाल साहू

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2024 (क्रमांक 4 सन् 2024)

श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2024 (क्रमांक 4 सन् 2024) पर विचार किया जाये ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री उमेश पटेल, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री अजय चन्द्राकर,

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

श्री कुंवर सिंह निषाद,

(सभापति महोदय (श्री बघेल लखेश्वर) पीठासीन हुए।)

12. सदन को सूचना

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि- माननीय सदस्यों हेतु विधानसभा के लॉबी स्थित सदस्य कक्ष में दिनांक 28 फरवरी, 2024 को अनंत सांई हास्पिटल रायपुर द्वारा कार्डियेक कैंप आयोजित है । कृपया माननीय सदस्य प्रातः 11.00 बजे से सायं 5.00 बजे के मध्य शिविर का लाभ लें। ।

13. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

श्री धर्मजीत सिंह,

14. विनियोग विधेयक के पारण हेतु समय वृद्धि की घोषणा

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक 2024 (क्रमांक 4 सन् 2024) पर विचार एवं पारण हेतु विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 158 के उप नियम (2) के अनुसार सायं 5.00 बजे तक का समय निर्धारित है । चूंकि चर्चा जारी है तथा माननीय वित्त मंत्री जी का उत्तर आना शेष है, अत: नियम 158 के उप नियम (2) को शिथिल कर विधेयक पर चर्चा एवं पारण का कार्य पूर्ण होने तक के समय में वृद्धि की जाये। मैं समझता हूं, सभा सहमत है ।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई ।)

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

श्री राजेश मूणत,

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से आज की कार्यसूची के पदक्रम 4 का कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

(सभापति महोदय (श्री विक्रम उसेण्डी) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री द्वारिकाधीश यादव, रामकुमार यादव, बघेल लखेश्वर,

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

श्री ओ.पी.चौधरी, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ ।

खंड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री ओ.पी.चौधरी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2024 (क्रमांक 4 सन् 2024) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(2) छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 2 सन् 2024)

श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री (विधि एवं विधायी कार्य) ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 2 सन् 2024) पर विचार किया जाये ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, अजय चन्द्राकर,

श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री (विधि एवं विधायी कार्य) मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 से 4 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री (विधि एवं विधायी कार्य) ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 2 सन् 2024) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ ।

(3) छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 3 सन् 2024)

श्री ओ.पी. चौधरी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 3 सन् 2024)पर विचार किया जाये ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री अटल श्रीवास्तव, अमर अग्रवाल,

श्री ओ.पी.चौधरी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 से 26 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री ओ.पी. चौधरी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 3 सन् 2024) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ ।

रात्रि 7.36 बजे विधान सभा की कार्यवाही, बुधवार, दिनांक 28 फरवरी, 2024 (फाल्गुन-9, शक संवत् 1945) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

दिनेश शर्मा

सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा